न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 06 / 2021

श्री अमजद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. नृसिंह गउशाला नसीराबाद जरिये अध्यक्ष, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्टस

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश क्रमांक 66 दिनांक 07.03.2003 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उपस्थित :– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक – 23-7-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह प्रार्थनापत्र, उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश क्रमांक 66 दिनांक 07.03.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

दिनांक 07.03.2003 को भू अभिलेख निरीक्षक मुख्यालय, रामसर तहसील नसीराबाद में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर भू संशोधन से अवशेष रहे प्रकरणों में नृसिंह गउशाला नसीराबाद के पक्ष में ग्राम रामसर की आराजी खसरा नम्बर 6843, 6865 व 6872 कुल किता 03 कुल रकबा 08–01–00 बीघा हाल खसरा नम्बर 8214 / 10802 व 8216 / 10592 कुल किता 02 कुल रकबा 1.30है0 का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक पेश हुए। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयीं। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर

अपर कलक्टर,
अजमेर

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय नियम व रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि के चिपते हुए आगे की तरफ प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत हाल खसरा नम्बर 8216 रकबा 1.80है0 स्थित है जिस पर प्रार्थी अपने दादालाई के समय से काबिज काश्त है एवं विवादित आराजी भी प्रार्थी के खेत में शामिल हैं परन्तु भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रश्नगत आराजी को पृथक कर सिवायचक दर्ज किया गया जबकि आराजी प्रार्थी के पिता की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की जानकारी के बिना सिवायचक आराजी को गुपचुप व विधिविरूद्ध रूप से अपने नाम आवंटन करवाकर सीधे ही खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 30.04.2003 अपने हक में पारित करवा लिया। अब अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में उसका लाभ लेने के नाजायज उद्देश्य से भूमि का विक्रय व जबरन कब्जा करने पर आमादा है। उन्होने आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा काश्त, लगान की रसीदें तथा धारा 91 की रसीदों के अनुसार लगातार प्रार्थी के पिता, भाई आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी से लगती हुई होने से प्रार्थी ही प्रथमतः आवंटन की पात्रता रखता है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि ऑक्यूपाईड होने से अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन अवैद्य है, चूंकि आवंटी का आराजी पर भौतिक धारण नहीं है, न कभी रहा है और न ही कभी काश्त की गयी है। वरवक्त आवंटन कमेटी का न तो पूर्ण कोरम था एवं ना ही समुचित रूप से आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। आवंटन नियमों के तहत सार्वजनिक समयावधि की सूचना जारी नहीं की गयी, प्रार्थी व जनता से छुपाकर गुपचुप तरीके से आवंटन किया गया है जो कि पारदर्शी न होकर कपट व मिथ्या व्यपदेशन से पारित करवाया गया है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान **R.R.D 1990 पेज 642, R.B.J 2000 पेज 457, R.R.T 2005 पेज 627 व 34, R.R.T 2003 पेज 34 एवं R.B.J. 2013 पेज 621** पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। अपनी बहस जारी रखते हुए उनका कथन है कि विवादग्रस्त आराजी के आवंटन पश्चात भूमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया और न ही राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी का अंकन किया बल्कि सीधे ही खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो कि पूर्णतया अवैद्य कार्यवाही होकर आवंटन नियमों की शर्तों का भी उल्लंघन है। आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत वरवक्त आवंटन अप्रार्थी की पात्रता की कोई जाँच नहीं की गयी। अप्रार्थी एक संस्था है जो कि उक्त आवंटन नियमों में पात्रता नहीं रखती है क्योंकि उक्त संस्था ना तो भूमिहीन कृषक है एवं ना ही ग्राम रामसर में कार्यरत है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान **R.B.J 2007 पेज 636 एवं R.B.J 2011 पेज 694** पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी का भूमिहीन होना स्पष्ट है एवं प्रार्थी मध्यम श्रेणी का कृषक है जो खेती पर ही निर्भर है। इसके साथ ही प्रश्तगत आराजी प्रार्थी के खातेदारी खेत से चिपती हुई भूमि होने से प्रार्थी ही आवंटन की पात्रता रखता है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त कर प्रार्थी को आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव मे वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में समस्त तथ्य गलत अंकित किये गये है। अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जाँच पश्चात विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रश्नगत आराजी से प्रार्थी का कोई हित व सरोकार नहीं है एवं ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है, बल्कि आराजी पर नृसिंह गौशाला का भू संशोधन जमाबन्दी में इन्द्राज था तथा लम्बे समय तक गौशाला का कब्जा रहा। तदुपरान्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी जो प्रार्थी को विधिवत नियमन की गयी एवं तब से ही नृसिंह गौशाला भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध काबिज है। नियमन उपरान्त अप्रार्थी के पक्ष में इंतकाल सं 151 विधि सम्मत तस्दीक किया गया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनका व परिवार का कब्जा काश्त है। मौके पर भूमि रिक्त होकर अप्रार्थी के हक, अधिकार व कब्जे में है। यदि अप्रार्थी द्वारा बतौर अतिक्रमी कुछ समय के लिए अतिक्रमण किया भी गया हो तो भी उक्त भूमि में उसका कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। आवंटन नियम 1970 में वर्णित प्रावधान अनुसार कानूनन यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत तौर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर भी लिया गया हो तो भी वह भूमि रिक्त भूमि की श्रेणी में आती है। उन्होने आगे कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत बैठक कार्यवाही एवं आवंटन नियमों में वर्णित प्रावधानों के तहत नियमों की पूर्ण पालना कर अप्रार्थी व 73 अन्य लोगोां को भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है जिसमें आवंटन सलाहकार समिति का पूर्ण कोरम होकर हस्ताक्षरा अंकित है, जो आवंटन/नियमन की पारदर्शिता को दर्शाता है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रंकार का कपट अथवा मिथ्या व्यपदेशन नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थी का आगे कथन है कि अप्रार्थी एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका उद्देश्य गौमाता की सेवार्थ कार्य करना है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं कर गौशाला संस्था को भूमि का नियमन किया गया है। प्रार्थी ने स्वयं के भूमिहीन होने का कथन किया है जबकि प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 में स्वयं के द्वारा अपनी भूमि का वर्णन किये जाने से कथन विरोधाभासी है। अप्रार्थी विवादग्रस्त आराजी के आवंटन/नियमन के समय से ही बतौर खातेदार काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि गौशाला के नजदीक व चिपती हुई होने का फायदा उठाकर आये दिन गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण करने की फिराक में रहता है। उसका येन केन उद्देश केवल मात्र अप्रार्थी गौशाला की भूमि को हड़प करना है एवं इसी उद्देश्य से विचाराधीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन नियम 1970 में वर्णित प्रावधानानुसार केवल कपट अथवा मिथ्या व्ययपदेशन होने की स्थिति में ही किसी आवंटन/नियमन को निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुंत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के आवंटन/नियमन में किसी प्रकार का कपट अथवा मिथ्या व्यपदेशन किया गया हो। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आवंटन/नियमन के 18 वर्षों पश्चात केवल मात्र बेबुनियादी एवं आधारहीन तथ्यों पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाकर प्रार्थी। के पक्ष में हुए विवादित भूमि का आवंटन/नियमन यथावत रखा जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अन्तिम चौसाला जमाबन्दी में खाता सं 1 में सिवायचक दर्ज थी। भू संशोधन जमाबन्दी में खाता संख्या 494 में खसरा नम्बर 6843, 6865 व 6872 नृसिंह गउशाला के नाम दर्ज था। संवत 2041 से 2051 तक विवादित आराजी पर नृसिंह गउशाला का ही कब्जा रहा, संवत 2052 में गफ्फार पुत्र नन्हे खान पठान तथा संवत 2053 से 2058 तक विवादित आराजी पर शकीन पठान पुत्र गनी खान का कब्जा रहा। पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद से प्राप्त विवादित आराजी के आवंटन/नियमन सम्बन्धी मूल रिकॉर्ड के अनुसार, विवादित आराजी के भू संशोधन खसरा नम्बर 6843, 6865 व 6872 की नृसिंह गउशाला नसीराबाद को भू संशोधन में खातेदारी दी गयी थी। भू संशोधन अवधि में निष्पादित कार्य को प्रभाव में नहीं लाने से तथ इस आराजियात का इन्द्राज गत चौसाला जमाबन्दी में सिवायचक होने के कारण उक्त आराजियात को नृसिंह गउशाला के पक्ष में नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन किये जाने हेतु ही तहसीलदार नसीराबाद द्वारा उक्त प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित आराजी भी प्रार्थी के खेत में शामिल हैं परन्तु भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रश्नगत आराजी को पृथक कर सिवायचक दर्ज किया गया जबकि आराजी प्रार्थी के पिता की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज या रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी चौसाला जमाबन्दी या भूसंशोधन जमाबन्दी या उसके पूर्व उसकी या उसके परिवारजन के नाम दर्ज थी। रिकॉर्ड अनुसार यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर संवत 2052 पर गफ्फार पुत्र नन्हे खान पठान तथा संवत 2053 से 2058 तक शकील पुत्र गनी खान का कब्जा काश्त रहा है अर्थात गफ्फार पुत्र नन्हे खान का मात्र एक वर्ष ही कब्जा रहा है।प्रार्थी का यह कथन कि वह एक भूमिहीन कृषक है, भी विरोधाभासी प्रतीत हो रहा है क्योंकि प्रार्थी ने स्वयं यह कथन किया है कि विवादित आराजी के चिपते हुए आगे की तरफ उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8216 रकबा 1.80है0 स्थित है जिस पर प्रार्थी अपने दादालाई के समय से काबिज है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन/नियमन आदेश जारी होने के लगभग 18 वर्ष पश्चात उक्त आवंटन/नियमन को निनिरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है परन्तु विलम्ब से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार विवादित आराजी पर प्रार्थी या उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही प्रार्थी या उसके पूर्वज कभी विवादित आराजी पर काबिज थे। विवादित आराजी, भू संशोधन जमाबन्दी में नृसिह गउशाला के नाम खातेदारी दर्ज थी तथ चौसाला जमाबन्दी में उक्त विवादित आराजी सिवायचक हो जाने के कारण ही नियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त विवादित आराजी को नृसिंह गउशाला के पक्ष में आवंटन/नियमन किये जाने हेतु तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण तैयार कर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के उप नियम 20 के परन्तुक 1ए के अनुसार उचित है। नियम 1970 के उपनियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, नियमन सम्बन्धी प्रकरणों में सीधे ही खातेदारी अधिकार दिये जाते है।

अपर कलक्टर,
अजमेर

अतः ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद के आराजी खसरा नम्बर 6843, 6865 व 6872 कुल किता 03 कुल रकबा 08–01–00 बीघा हाल खसरा नम्बर 8214/10802 व 8216/10592 कुल किता 02 कुल रकबा 1.30है0 का उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश क्रमांक 66 दिनांक 07.03.2003 से अप्रार्थी संख्या 1 नृसिंह गउशाला नसीराबाद के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन, राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत उचित पाये जाने के कारण **प्रार्थी श्री अमजद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को निरस्त किया जाता है**

आदेश आज दिनांक 23.7.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर,
अजमेर